न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–57/2016 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. कमल सिंह पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी घाट तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. माया पुत्री कमलसिंह,
2. गीता पुत्री कमलसिंह,
3. शंकर पुत्र कमल सिंह,
4. प्रीती पुत्री कमलसिंह जरिये सरपरस्त तीनों नाबालिग बत्तन पुत्री कमल माताखुद निवासीयान ग्राम घाट तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.....असल रेस्पोडेन्टान

5. सब रजिस्ट्रार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बड़ोदामेव जर्ये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक बड़ौदामेव तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
7. बच्चूसिंह पुत्र श्री गोरधन जाति जाट,
8. विजयसिंह पुत्र श्री गोरधन जाति जाट,
9. प्यारेलाल पुत्र श्री गोरधन जाति जाट,
10. फुलवती बेवा श्री रतनसिंह जाति जाट,
11. कपील पुत्र श्री रतनसिंह जाति जाट,
12. अजीत पुत्र श्री रतनसिंह जाति जाट, निवासीयान ग्राम घाट तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री अनिल कुमार गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2

::: निर्णय :::

दिनांक :–31.08.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

31/8/18

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 119 रकबा 5 बिस्वा का 1/10 भाग व ख0 नं0 163 रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा का 1/10 भाग, 120 रकबा 1.06 बीघा, 150 रकबा 12.09 बीघा, 159 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, 161 रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा, 162 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 30 बीघा 1 बिस्वा का 1/20 भाग व हाल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 वाके ग्राम घाट तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है जिस आराजी के कमलसिंह पुत्र गोरधन जाति जाट प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा विवादित आराजी में है । विवादित आराजी गोरधन 'के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो विरासत में जर्ये इन्तकाल सं0 720 के वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 को व तरतीबी प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई जिस आराजी में वादीगण का जन्म से ही अधिकार प्राप्त है । मुताबिक हिस्सा वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के साथ शामलात में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं, मौके पर काबिज है । वादीगण प्रतिवादी नं0 1 के लड़के व लड़कियां है तथा विवादित आराजी गोरधनसिंह की आराजी होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण को जन्म से ही हक व अधिकार है लेकिन प्रतिवादी सं0 1 के नाम जरिये विरासत इन्तकाल सं0 720 के गलत खातेदारी में दर्ज हो रही है । इसलिए विवादित आराजी के 4/100 भाग वाके ग्राम घाट तहसील लक्ष्मणगढ़ का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण असल को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । विद्वान तहत न्यायालय ने पत्रावली कैम्प कोर्ट घाट में दि0 23.05.2016 को वादीगण का वाद डिंक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 23.05.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि कमलसिंह अपीलांट को कैम्प कोर्ट घाट में मौके पर बुलाया नहीं और न ही सुना । विवादित आराजी में वादी/रेस्पो0 का हिस्सा घोषित कर दिया । अपील दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ जानकारी के दिन से प्रस्तुत कर दी जिस डिले को कन्डोन करने का निवेदन किया ।

बहस की मैरिट पर अभिभाषक अपीलांट का कहना है कि माया, गीता, प्रीती, शंकर नाबालिग थे और कमल की पत्नि माता खुद ने दावा किया है । विवादित आराजी को कमल के पिता गोरधन की बतायी है । गोरधन की विरासत का इन्ताल उसके बच्चों के नाम दर्ज कराया है । वादी कहते हैं कि विवादित आराजी कमल के बच्चों के नाम घोषित हो । मुख्य बिन्दु यह था कि कमल किसी अन्य स्त्री के साथ रहता है तथा जमीन को खुर्द–बुर्द करना चाहता है । इसलिए तहत न्यायालय में दावा करना पड़ा । अपीलांट ने जवाब पेश किया और कहा कि जहां कोई विवाद नहीं है वहां आदेश 14 नियम 1 में डिक्री दे देनी चाहिए । जहां विवाद है वहां आदेश 14 नियम 2 में तनकीयात बनाते और तनकीयात अनुसार साक्ष्य

ली जाकर सुनवाई कर निर्णय करते । तहत न्यायालय ने आदेश 14 नियम 2 की पालना नहीं की है । दूसरा ऐतराज अपीलांट का यह है कि तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार को पार्टी बनाया परन्तु धारा 80 का प्रार्थना पत्र नहीं है । इसलिए वादीगण का दावा मैन्टेनेबिल नहीं था । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जब तक पिता के रहते माता संरक्षक नहीं बनती है और वह दावा नहीं कर सकती हैं । शुरू के 6 साल तक माता संरक्षक रहती है उसके बाद पिता संरक्षक हो जाता है । बत्तन को दावा पेश करने की हैसियत ही नहीं थी । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 में पिता के जीवित रहते पिता और पुत्री को कोई अधिकार नहीं है । वादी के वाद में ख0 नं0 163 का कही भी घोषण नहीं थी । तहत न्यायालय ने उक्त खसरा नम्बर का गलत निर्णय दिया है । तहत न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि गोरधन की बेटी अर्थात कमल की बहनों को भी पक्षकार नहीं बनाया । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का अनुरोध किया । उन्होंने अपने समर्थन में सी.पी.सी. पेज 192, आर.आर.टी. 2008 पेज 1183, 1406, डी.एन.जे. 2015 पेज 592, आर.आर.टी. 2009 पेज 162 व 391 पेश की ।

जवाब बहस में अभिभाषक असल रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है । डिले कन्डोन के लिए कोई उचित कारण दर्शित नहीं किये हैं । तहत न्यायालय के आदेश की अपीलांट को जानकारी थी । इसलिए अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज की जावें ।

मैरिट की बहस पर अभिभाषक असल रेस्पो0 का तर्क है कि कमलसिंह ने दूसरी औरत से शादी कर ली है जिसके आधार पर सही कॉज ऑफ एक्शन लिये हैं । रजनी नाम की औरत और थी जिसके बच्चे भी हुए हैं । इसका मैंने रेकार्ड भी पेश किया है । इसलिए कॉज ऑफ एक्शन सही है । दूसरा बिन्दू की तनकीयात कायम नहीं की का प्रश्न है तो जवाब के पैरा सं0 5 का अवलोकन कराया । जवाब में यह तथ्य स्वीकृत है कि इन्तकाल सं0 720 से गोरधन के आराजी विरासत से आयी है । 9 सितम्बर 2005 को धारा 6 के संशोधन अनुसार पुत्रियों का भी अधिकार है तथा यह नियम लागू है । सन् 2005 के बाद पुत्र, पुत्रियां घोषणा व विभाजन का वाद पेश कर सकती है । सजरे के अनुसार गोरधन से कमल को मिलने वाले हिस्से से हिस्सा मांग रहे हैं । इसलिए इसमें जब सभी तथ्य एडमिट है तो तनकीयात बनाने की आवश्यकता नहीं थी । यदि अपीलांट को कोई ऐतराज था तो वे तहत न्यायालय में ऐतराज करते । तहसीलदार व सब रजिस्ट्रार का पक्षकार बनानें का प्रश्न है तो सरकार से मुझे कुछ नहीं चाहिए । अतः धारा 80 का ऑब्जेक्शन गलत है, विरोध सरकार कर सकती है । जब पिता ही अपने बच्चों के खिलाफ नाइन्साफ करें तो मां को अधिकार है कि वह बच्चों को आधार मानकर दावा पेश करें । ख0 नं0 163 सहवन से दावे की प्रार्थना में रह गया है । दावे में अंकित किया है । ख0 नं0 163 में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही जो मेरी रीलीफ है । ऐसा कोई दस्तावेज़ अपीलांट ने पेश नहीं किये जिससे इनकी स्वअर्जित सम्पति हो । अतः कमलसिंह के 1/5 हिस्से में से 4/5 हिस्सा हमें मिला । इसलिए पहले मियाद के बिन्दू को तय करने के बाद मैरिट पर निर्णय तहत न्यायालय ने सही किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने कथन की ताईद में आर.बी.जे. 2012 पेज 172, आर.आर.डी. 1989 पेज 738, आर.अर.डी.

 31/8/18

1978 पेज 375, आर.बी.जे. 2012 पेज 172, 1998 एस.सी. पेज 2276, आर.आर.टी. 2010 पेज 801 व आर.बी.जे. 2005 पेज 132 पेश की ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2016 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के अनुसार पहले उभयपक्षों को मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र धारा 5 पर निर्णय किया जाना है । अपील के साथ पेश प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की आदेशिका व निर्णय दि0 23.05.2016 का अवलोकन किया गया । पेश कानूनी नजीरों का अवलोकन किया गया ।

मियाद के बिन्दू पर धारा 5 मियाद अधिनियम में लिये गये बिन्दुओं तथा विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा पारित सिद्धान्तों के अनुसार प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है ।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर अपील के निस्तारण का प्रश्न है । वाद के जवाब के आधार पर तथा रेकार्ड से यह तय हो गया कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है । विधि का सारवान प्रश्न ये था कि क्या पुत्रियों को भी पैतृक आराजी में कानूनन हक है । इसे तहत न्यायालय ने तय किया है जो निर्णय सही व उचित है । अपीलांट की कानूनी नजीरें अब चस्पा नहीं होती है । उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित कर दिया है कि पैतृक आराजी में पुत्र, पुत्रियों को भी समान रूप से जन्मजात अधिकार है । इसलिए अपीलांट की अपील काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 23.05.2016 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/8/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर